भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1344
30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

मछुआरों के लिए ऋण और बीमा योजना

1344. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री मनीष जायसवाल: श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:
श्री जुगल किशोर:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:
श्री पी. सी. मोहन:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मछुआरों के लिए कोई क्रेडिट/ऋण योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मछुआरों के लिए बीमा योजना का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ओडिशा के कंधमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के माध्यम से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): जी हां, वित्त वर्ष 2018-19 से मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 'मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि' / 'फिशेरीस एंड एक्काकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड (एफआईडीएफ)' योजना को लागू कर रहा है । इस योजना के अंतर्गत मात्स्यिकी क्षेत्र में विभिन्न इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान किया जा रहा है, जिसमें 3% तक प्रति वर्ष ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सबवनशन) दिया जाता है और मूलधन चुकाने के लिए 2 वर्ष की मोहलत अवधि (मोरटोरियम) के साथ ऋण चुकाने की अवधि 12 वर्ष है ।

इसके अलावा, संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा के उद्देश्य से, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में मछुआरों और मत्स्य किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा पहुंचाई ताकि वे अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें । आज तक, सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मछुआरों और मत्स्य किसानों को 4,26,666 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें ओडिशा राज्य में दिया गया 2434 केसीसी शामिल है ।

(ख) और (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मछुआरों और मत्स्य किसानों को समूह दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करता है, जिसमें संपूर्ण बीमा प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और लाभार्थी से कोई अंशदान नहीं लिया जाता । योजना के तहत प्रदान की गई बीमा कवरेज में (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 5,00,000/- रुपए (ii) स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 2,50,000/- रुपए और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती खर्च के लिए 25,000/- रुपए की राशि शामिल है । विगत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24 तक) और वर्तमान वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान 131.30 लाख मछुआरों को इस योजना के तहत बीमा कवरेज प्रदान किया गया है । ओडिशा के कंधमाल लोकसभा क्षेत्र के संबंध में, इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2024-25 में 29,352 मछुआरों का बीमा किया गया है ।

****